# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर

**प्रकरण संख्याः— 34 / 2017 (रैफरेन्स)**

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रूपवास जिला भरतपुर (लैण्ड होल्डर)

**सायल**

बनाम

1. श्याम स्वरूप } पिसरान चम्पालाल कौम वैश्य निवासी रूपवास जिला भरतपुर।
2. प्रेमशंकर }
3. कान्तीस्वरूप (मृतक) पिसरान चम्पालाल कौम वैश्य निवासी रूपवास जिला भरतपुर।
   3 / 1 सत्यनारायण सिंघल } पिस0 स्व0 कान्तीस्वरूप जाति वैश्य नि0रूपवास(भरतपुर)
   3 / 2 अजय सिंघल }
4. दिनेश चन्द पिसरान चम्पालाल कौम वैश्य निवासी रूपवास जिला भरतपुर।

**गैर सायल**

रैफरेंस अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत आराजी खसरा नम्बर 1937 / 1046 रकबा 1—02 वीघा के विरूद्ध गैर खातेदारी को निरस्त कर सिवायचक दर्ज करने बाबत।

उपस्थित :

1. राजकीय अधिवक्ता।
2. श्री दुलीचंद शर्मा वकील गैरसायलान।

## निर्णय

**दिनांक : 13.6.2018**

सायल द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का प्रस्तुत किया है कि गैर सायलान के के हक में नियमन / आवंटन विधिविरूद्ध होने के कारण आराजी खसरा नम्बर 1937 / 1046 रकबा 1—02 बीघा किस्म कदीम (मकबूजा चारागाह) पर दर्ज गैर—खातेदारी तथा इसके प्रभाव में किये गये समस्त नामान्तरकरण संख्या 1323 वगैरह को निरस्त फरमाया जावे तथा भूमि को पूर्व की भांति सिवायचक खाता संख्या 01 में दर्ज किये जाने के प्रस्ताव मण्डल को भिजवाये जावे। गैर सायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैर सायलान की ओर से श्री दुलीचंद शर्मा एडवोकेट उपस्थित। उनके द्वारा जबाब रैफरेंस प्रस्तुत किया गया। पैरोकार सरकार एवं वकील गैर सायलान की बहस नियत दिनांक 13. 6.2018 को सुनी गई।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा रैफरेंस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि खसरा नम्बर 1937 / 1046 रकबा 1—02 बीघा किस्म कदीम (मकबूजा चारागाह) वाकै ग्राम रूपवास तहसील रूपवास जिला भरतपुर में स्थित है। उक्त भूमि पर वर्तमान जमाबन्दी सम्बत 2069—2072 में गैरसायलान गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड है। यह भूमि राजकीय खाते में सिवायचक मकबूजा चारागाह के रूप में दर्ज रिकार्ड रही है जिकसा इन्द्राज राजस्व रिकार्ड की खसरा टीप सम्वत 2005—2008 में खसरा नम्बर 1046 / 42—13 के रूप में रहा है जिसमें सम्पूर्ण भूमि खाली अंकित है। उक्त भूमि पर बिना किसी नामान्तरकरण के जमाबन्दी सम्बत 2020 के खाता संख्या 404 में गैर सायलान 1 लगायत

4 का पूर्वज नानगराम चम्पालाल पिसरान सेढू गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड हुआ जो जरिये विरासत नामान्तरकरण संख्या 1323 से गैरसायलान के नाम गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड हुआ। वर्तमान में गैर सायलान उक्त भूमि पर काबिज है जबकि यह भूमि आरटीएक्ट 1955 की धारा 16 के तहत नियमन योग्य नहीं है एवं इस पर खातेदारी देना विधि–विरूद्ध है।

उक्त भूमि पर दर्ज निजि खातेदारी माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान द्वारा डीबी सिविल रिट पिटीशन नं0 1536/2003 अब्दुलरहमान बनाम सरकार व अन्य में जारी आदेश दिनांक 2.8.2004 में दिये गये निर्देशों के अनुसार निरस्त की जाकर राजकीय स्वामित्व के सिवायचक खाते में दर्ज करने योग्य है। इसके अलावा राजकीय अधिवक्ता का यह भी कथन है कि माननीय लोकायुक्त प्रमुख सचिव जयपुर राजस्थान के लोकायुकत प्रकरण के क्रमांक 11(151) लो0आ0स0/2013/15899 जयपुर दिनांक 20.2.2014 तथा माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ जयपुर में पेश जनहित याचिका डीबी सिविल रिट पिटीशन नं0 14757/2017 पुरूषोत्तम बनाम सरकार व अन्य के तहत जारी आदेश दिनांक 27.11.2017 में दिये निर्देशों की अनुपालना में रैफरेंस प्रकरण तैयार किये गये है।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे। गैर सायलान संख्या 1 लगायत 4 के नाम हो रहे इन्द्राज को कलमजन किये जाने एवं आराजी को पूर्व की भांति सिवायचक खाता संख्या 1 में दर्ज कराये जाने हेतु यह रैफरेंस माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित किया जावे। कथनों के समर्थन में खसरा टीप सम्बत 2005–2008, जमाबन्दी 2020, 2069–72 की प्रमाणित प्रतियां, नामान्तरकरण संख्या 1323 की प्रमाणित प्रति एवं रिपोर्ट पटवारी सलग्न की गई है।

वकील गैर सायलान ने प्रार्थना पत्र रेफरेंस से इन्कार करते हुए जाहिर किया कि प्रस्तुत रेफरेंस प्रार्थना पत्र प्रार्थी के द्वारा गलत तथ्यों पर प्रस्तुत किया गया है। वकील गैर सायलान का कथन है कि उक्त आराजी राजस्व रिकार्ड में एवं मौके पर भी न तो चारागाह है न ही कभी चारागाह रही है। वास्तविकता यह है कि यह भूमि हमारे पूर्वजों की खातेदारी की आराजी है । इस भूमि पर राज0 भू राजस्व अधि0 1956 एवं राज0 काश्तकारी अधि0 1955 लागू होने से पहले ही धर्मशाला, कूआ, बाउण्ड्री बने हुये है अर्थात संवत 2002 से गैरसायलान के पूर्वजों की धर्मशाला, कूआ, बाउण्ड्री बनी हुई है। ऐसी स्थिति में चारागाह होने का प्रश्न ही नहीं है। राजस्व रिकार्ड में भी गैर सायलान के इन्द्राज वकायदा नियमानुसार दर्ज है। इस आराजी के संबध में राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 16 का एप्लीकेशन होने के कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। यह आराजी वर्षों से हमारे पूर्वजों की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जो हमें पूर्वजों के फौत होने के पश्चात विरासत के रूप में मिली है जिस पर वर्तमान में गैरसायलान वखूबी राजस्व रिकार्ड पर एवं मौके पर कब्जे काश्त खातेदार के रूप में दर्ज है व काबिज है। माननीय उच्च न्यायालयों के निर्णय इस प्रकरण में कतई लागू नहीं होते। एक लम्बे अर्से के बाद किसी रिकार्डेड खातेदार की विरासत के अंतर्गत प्राप्त खातेदारी को यूं रैफरेंस/सरसरी कार्यवाही के माध्यम से कलमजन किया जाकर किसी भी व्यक्ति को उसके हक हकूको से महरूम नहीं किया जा सकता। यह रैफरेंस खातेदारी इन्द्राजों को निरस्त कराने के लिये पेश किया गया है जो किसी आदेश की तारीफ में नहीं आता इसलिऐ यह रैफरेंस पोषणीय ही नहीं है। इसके अलावा वकील गैर सायलान का यह भी कथन है कि उक्त भूमि आवंटन आदेश किसी भी प्रकार नोन ज्यूडिशियल नहीं है और न ही प्रकरण रैफरेंस की श्रेणी मे आता है। प्रार्थी द्वारा राजस्व अभिलेखों के विपरीत जाकर रैफरेंस पेश किया गया है जो आधारहीन बेबुनियाद मनगंढत तथ्यों पर आधारित होने के कारण काबिले मंसूखी है।

अन्त में वकील गैर सायलान द्वारा निवेदन किया गया कि यह रैफरेंस दुर्भावनावश किया गया है बिना किसी आधार के कानून के विपरीत है इसलिऐ प्रस्तुत रेफरेंस खारिज फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष की बहस तर्कों पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा इस प्रकरण में मुख्यतः बिन्दु जो उठाया है वह विवादित आराजी को चारागाह मानते हुये उठाया है जबकि रियासतकालीन सम्बत 2008 की जमाबन्दी का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि खस0नं0 1046 पर काश्तकार के कॉलम में नानगाराम व चम्पालाल पिसरान मेडू जाति वैश्य जो गैरसायलान के पूर्वज है वहिस्सा बराबर बनवाये जाने धर्मशाला अंकित है और कॉलम संख्या 4 में सरकार दौलते मदार अंकित है इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि विवादित आराजी धर्मशाला बनाने के लिये दी गई है। साथ ही रियासतकालीन खसरा टीप सम्बत 2007 में कॉलम संख्या 3 में नानगाराम, चम्पालाल पिसरान मेडू दर्ज है इसमें भी किस्म जमीन चारागाह होना अंकित नहीं है। स्वयं प्रार्थी द्वारा भी रैफरेंस के साथ प्रस्तुत राजस्व दस्तावेजों में विवादित आराजी 1046 के बाबत चारागाह न होकर कदीम अंकित होना पाया गया है। ये रियासतकालीन जमाबन्दी सम्बत 2008 सन् 1951 की है अर्थात आरटीएक्ट लागू होने से पूर्व की है । ऐसी स्थिति में बिना किसी ठोस राजस्व रिकार्ड के उक्त आराजी को चारागाह माने जाने का कोई औचित्य नहीं है। प्रार्थी ने उक्त आराजी को अपने रैफरेंस प्रार्थना पत्र में पूर्व में चारागाह होना अंकित किया है जबकि रैफरेंस के माध्यम से इस्तदुआ यह की गई है कि आराजी को सिवायचक कर दिया जावे। इस तरह रैफरेंस के मध्यम से आराजी का किस्म परिवर्तन किया जाना गैर न्यायिक है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने भी गिरधारी बनाम कोयली रिव्यू नं0 1119/2011 में भी यह स्पष्ट माना है कि प्लीडिंग से परे राहत नहीं दी जा सकती। यह न्याय का सिद्यान्त भी है। यहां प्लीडिंग भूमि को सिवायचक करने की है जो की ही नहीं जा सकती क्यों कि रैफरेंसकर्ता स्वयं अपने प्रार्थना पत्र में भूमि को संवत 2008–12 में चारागाह बता रहे है तथा अब इस्तदुआ इसे सिवायचक करने की कर रहे है। प्रस्तुत रैफरेंस के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी द्वारा बिना किसी परीक्षण के जल्दबाजी में रैफरेंस पेश किया गया है जिसका हमारे ख्याल से अभी ट्रायल स्तर पर विधिवत जांच किया जाना वेहद आवश्यक है। यह रैफरेंस आधारहीन एवं ठोस राजस्व रिकार्ड का अभाव होने के कारण काबिले खारिजी के ही रहता है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार यह रैफरेंस खारिज किया जाता है प्रार्थी तहसीलदार रूपवास को हिदायत दी जाती है कि वे प्रकरण की पुनः गहन जांच करें एवं आराजी के किस्म के संबध में वास्तविक स्थिति को स्पष्ट करते हुये यदि प्रकरण को रैफरेंस योग्य पाते हो तो ही पुनः नये सिरे से मय गत एवं वर्तमान राजस्व रिकार्ड के रैफरेंस पेश करने हेतु स्वतन्त्र रहते है।

निर्णय आज दिनांक 13.6.2018 सरे इजलास सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भरतपुर